UPBB010034232026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1496/2026

बिहारीलाल पुत्र स्व० महादेव आयु लगभग 76 वर्ष निवासी ग्राम प्रीतमपुर, मजरे डड़ियामऊ थाना मसौली, जिला बाराबंकी।

----- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ------ विपक्षी।

अपराध सं-85/2026
धारा- 3(5), 109 बी.एन.एस. व बढ़ोत्तरी धारा 352, 351(3) बीएनएस,
थाना- मसौली,
जिला-बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री राधेश्याम यादव
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	26.05.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	05.06.2026

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रस्तुत प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा रमाकान्त द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी रमाकान्त पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम पीरपुर मजरे इब्राहिमाबाद थाना कोठी जनपद बाराबंकी का मूल निवासी है प्रार्थी ने रामकैलाश, बाबूलाल, चन्द्रशेखर पुत्रगण धर्मपति निवासी गेन्दौरा थाना मसौली जनपद बाराबंकी से जमीन गाटा संख्या 296/0.376 हे० भूमि खरीदा था आज दिनांक 18.04.2026 को समय तीन बजे दिन में वादी, रामकैलाश आदि से खरीदी गयी जमीन गाटा संख्या 296/0.376 हे० पर पिलर व तार बांधने

सचिन के साथ गया था, वहां पर विपक्षीगण शोभेलाल, चेतराम, अखलेश, मुकेश, गजराज, सनेही, रामसमुझ, बल्लू, अनुज, अजय, अनुराग, प्रवेश, मुस्सु, संजय, शंकर, बिहारीलाल व अन्य 20-25 लोगों ने लोहे की रॉड, बांका व लाठी डन्डों से जान से मारने की नियत से हमला कर, गम्भीर रूप से घायल कर दिया जिससे सचिन कुमार, सुमित कुमार, रामफेर, प्रमोद कुमार, सहजराम, अमित कुमार, विनीत कुमार, मनोज कुमार, राजीव कुमार तथा वादी को गम्भीर चोटें आयीं, इलाज हेतु चोटहिलों को सीएचसी बड़ागांव, मसौली ले जाया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को गांव जवार की पार्टीबन्दी के कारण वादी मुकदमा ने लोगों के कहने से गलत तरीके से नामित किया है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत पता निंबहा पुरवा मजरे जलुहामऊ थाना मसौली जनपद बाराबंकी अंकित करवाया है जबकि प्रार्थी ग्राम प्रीतमपुर मजरे डडियामऊ थाना मसौली का मूल निवासी है। कथित घटना ग्राम गेंदौरा थाना मसौली की जमीनी विवाद को लेकर होना कहा गया है। मामला सिविल प्रकृति का है। कथित घटना के गवाहान वादी मुकदमा के मेली व मददगार हैं। आवेदक/अभियुक्त को थाना हाजा की पुलिस उसके घर से पकड़ कर लायी और फर्जी तरीके से गिरफ्तारी दिखाकर चालान कर दिया। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 23.04.2026 से जिला कारागार, बाराबंकी में निरुद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। वादी द्वारा क्रय की गयी भूमि पर पिलर लगाने का कार्य किया जा रहा था परन्तु अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पिलर गाड़ने का विरोध कर लाठी डन्डा, लोहे की रॉड व बांका से वादी पक्ष पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया। कथित मामले में वादी के अतिरिक्त अन्य 09 चोटहिल हैं तथा सुमित के पैराईटल बोन में फ्रेक्चर होने व चोटहिल सचिन को हेड इंजरी होने का उल्लेख है। 05 चोटहिलों की चोटों को जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भित किया गया है। अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ एक राय होकर वादी पक्ष पर जान से मारने की नियत से हमला किया गया है। सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा रामकैलाश आदि से ग्राम गेंदौरा में गाटा संख्या-296/0.376 हे० खरीदी गयी भूमि पर पिलर लगवाया जा रहा था, अभियुक्तगण ने विरोध करते हुये एक राय होकर लाठी-डन्डा, लोहे की रॉड से लैस होकर वादी पक्ष पर जान से मारने की नियत से हमला कर, गम्भीर रूप से उपहति कारित कर दिया। पुलिस प्रपत्रों के अनुसार विवेचक द्वारा चोटहिल मनोज, रमाकांत, सहजराम, प्रमोद कुमार, राजीव कुमार, दीपू उर्फ अमित, विनीत की उपहति आख्या का अवलोकन कर केस डायरी में उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार मजरूब रमाकांत के शरीर पर 04 चोट जिसमें से चोट नंबर-3 को एक्सरे हेतु, सहजराम के शरीर पर 06 चोट जिसमें से चोट नंबर-3 व 6 को एक्सरे हेतु, प्रमोद कुमार के शरीर पर 02 चोट जिसमें से चोट नंबर-1 को एक्सरे हेतु, राजीव कुमार के शरीर पर 05 चोट जिसमें से चोट नंबर-1 व 2 को एक्सरे हेतु, विनीत के शरीर पर 03 चोट जिसमें से चोट नंबर-1 व 3 को एक्सरे हेतु संदर्भित किये जाने का उल्लेख है। केसडायरी के साथ चोटहिल सुमित व सचिन की मजरूबी चिट्ठी संलग्न है जिसमें उक्त चोटहिलों के सिर पर चोट आने का उल्लेख है। वादी के अधिवक्ता द्वारा चोटहिल सुमित व सचिन के उपचार के सन्दर्भ में छाया प्रति मेडिकल रिपोर्ट दाखिल किया गया है जिसके अनुसार सचिन के राईट टैम्पोरल बोन में फ्रेक्चर होने व सुमित के सिर में चोट होने का उल्लेख है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर घातक आयुधों से लैस होकर वादी मुकदमा व उसके पक्ष पर प्राणघातक हमला किये जाने का अभियोजन कथानक है। सहअभियुक्तगण की जमानत न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध भी सहअभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध के समान है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **बिहारीलाल** उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-05.06.2026

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
JO CODE-1899